05/09/18 [illegible]

14.9.22 बुलाये फरीकेन उपस्थित। 17.C
विभागीय अधिकारी दौरे/अवकाश
पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दि. 16-11-22 को पेश हो।

16.11.22 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी को सुनी हुई पूर्व निर्देश दिये जाने पर अलग पश्चात 6 (छः) माह पश्चात गुजर जाने के उपरान्त भी प्रार्थी कोर्ट में तामील नहीं करवाने में स्थिति क्यों? अपील अपीलार्थी 09 RS CRC के अन्तर्गत खारिज की जाती है फायदली निर्णित कुमार होकर दर्ज रजिस्टर किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested